संख्या-73/2026/I/1386314/2026/001-71-2005-001-31-2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-07.07.2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थलमोलाजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, सीतापुर हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर के पत्र संख्या-आर0 आई0ओ0/2026/313, दिनांक 13.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थलमोलाजी एण्ड रिसर्च सेन्टर सीतापुर में नीट पी0जी0 उत्तर प्रदेश कोटा एवं आल इंडिया कोटा द्वारा एम0एस0 आप्थलमोलाजी कोर्स हेतु प्रवेशित रेजीडेंट (वर्ष 2023-24, 2024-25, एवं 2025-26) की कुल 36 छात्र/छात्राओं की सूची उपलब्ध कराते हुए अनुदान संख्या 031 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 3,87,79,246/- अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थलमोलाजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, सीतापुर हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थलमोलाजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 08-चिकित्सालयों और औषधालयों के प्रयोजनों हेतु अनुदान, 801-नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थलमोलाजी एण्ड रिसर्च सीतापुर को अनुदान, 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 462.00 लाख के सापेक्ष रू0 3,87,79,246/-(रुपये तीन करोड़ सत्तासी लाख उनासी हजार दो सौ छियालीस मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026 -231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा
5. किसी भी अनियमितता की स्थिति में निदेशक व उनका कार्यालय उत्तरदायी होगा।
6. धनराशि के आहरण हेतु बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर को प्राधिकृत किया जाता है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,87,79,246 (रुपये तीन करोड़ सत्तासी लाख उनासी हजार दो सौ छियालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210011100801 नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ आप्थलमोलॉजी एण्ड रिसर्च सीतापुर को अनुदान मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-73/2026/।/1386314/2026/001-71-2005-001-31-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
(4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
(5) कोषाधिकारी, सीतापुर।
(6) निदेशक/सचिव, नेहरू इंस्टीटयूट आफ आप्थलमोलॉजी एण्ड रिसर्च, सीतापुर।
(7) मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
(8) वित्त ई-3
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।